UPSH010040632026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, शाहजहाँपुर।
जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1475/2026

रामरतन उर्फ रामलखन पुत्र रामसरन निवासी मो0 गढी गाडीपुरा थाना रामचन्द्र मिशन, जिला शाहजहॉपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0सं0–68/2018,
धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम
थाना–रामचन्द्र मिशन, जिला–शाहजहॉपुर।

आदेश

दिनांक–08.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त रामरतन उर्फ रामलखन की ओर से अन्तर्गत धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम जिला शाहजहॉपुर के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी दिनांक 31.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्व है।

प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, रंजिशन विनाह पर झूठा फंसाया गया है। उसके विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। उसने कभी विद्युत नियमों का उल्लघंन नहीं किया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपना विद्युत बिल जमा कर दिया गया है। प्रार्थी नियत तारीख पर हाजिर अदालत रहेगा व भविष्य में पलायन नही करेगा।प्रार्थी अपने घर का अकेला व्यक्ति है। वह अपनी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी (विद्युत) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा विद्युत चोरी की जा रही थी।। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया जाए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी पर जांच के दौरान प्रार्थी द्वारा अवैध रुप से विद्युत का उपभोग किया जाना बताया गया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये आधार जमानत पर्याप्त पाया जाता है।

प्रार्थी द्वारा मु0–20,000/–रू0 का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि का एक प्रतिभू एवं अण्डरटेंकिग प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रभारी विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–4, शाहजहॉपुर।